अलगाववाद का जहर

(सच्चर समिति की सिफारिशें)

संकलन

प्रकाशक

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ
शैक्षिक महासंघ सदन,
606/13, कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली-110053
दूरभाष-011-22914799

- प्रकाशन दिवस :
  कार्तिक शुक्ल सप्तमी, वि. सं. 2066
  25 अक्टूबर 2009
- सहयोग राशि : 10 रुपये
- अक्षर संयोजन :
  सागर कम्प्यूटर्स, जयपुर
- मुद्रक :
  कुमार एण्ड कम्पनी, जयपुर
- प्रकाशक :
  अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

अलगाववाद का जहर

(सच्चर समिति की सिफारिशें)

समिति का गठन

भारत सरकार ने मार्च 2005 में जस्टिस राजिन्दर सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। भारत के मुसलमानों के कथित सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाना और उन्हें उचित अधिकार दिलाने के लिये भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना समिति का मुख्य उद्देश्य था। सच्चर की अध्यक्षता में गठित होने के कारण यह समिति 'सच्चर समिति' अथवा 'सच्चर कमेटी' के नाम से विख्यात हुई। मार्च 2005 में गठित इस उच्च स्तरीय समिति ने नवम्बर 2006 में अपना काम पूरा कर लिया। इतने गम्भीर संवेदनशील और समाज तथा राष्ट्र पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले कार्य को समिति द्वारा 2 वर्ष से भी कम समय में पूरा किया जाना न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि सर्वसामान्य के मन में अनेक शंकाये उत्पन्न करने वाला भी है। समिति ने इतनी हड़बड़ी में यह काम क्यों किया? समिति ने रिपोर्ट तैयार करने में जितनी हड़बड़ी की, सरकार ने उसे स्वीकार करने में उससे भी ज्यादा जल्दबाजी दिखाई। इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट बिना किसी बहस के स्वीकार कर ली गयी और स्वीकार भी इस प्रकार की गई कि उसमें नाम मात्र की भी काट छाँट नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह स्वयं सरकार द्वारा प्रायोजित रही हो? मुसलमानों का थोक वोट पाने के लोभ में काँग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र की संप्रग सरकार जो मुस्लिम ऐजेण्डा लागू करना चाहती थी क्या उसी को सुनियोजित प्रयास के तहत सच्चर समिति द्वारा अनुमोदित करा लिया गया ताकि सामाजिक न्याय और तटस्थता का ढोंग रचाया जा सके? इस तरह के अनेक प्रश्न विचारशील लोगों के मन में उठ रहे हैं। इसलिये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का विधिवत अध्ययन कर उसकी समीक्षा करना आवश्यक हो गया है।

वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली की उपेक्षा

समिति को भारतीय मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने का अति महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। इसके लिए व्यापक एवं सघन जनसम्पर्क अभियान चलाने की आवश्यकता थी। समिति को चाहिये था

कि वह समाज के सभी वर्गों और हर वर्ग के भीतर हर स्तर के लोगों से किसी न किसी माध्यम से सम्पर्क करके इस विषय पर उनका अभिमत जानने का प्रयास करती। आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अधिकाधिक लोगों से लिखित सुझाव माँगे जाते फिर उनका गहन विश्लेषण करके किसी निष्कर्ष तक पहुँचा जाता। समिति ने ये तो निष्कर्ष पहले निकाल लिया था अथवा उसे बांछित निष्कर्ष तक पहुँचने की इतनी जल्दी थी कि उसने इस प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक तथा उचित नहीं समझा। इसके विपरीत उसने कतिपय तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा मुस्लिम समस्या पर लिखे गये इक्के-दुक्के लेखों के आधार पर अपने निष्कर्ष निकाल लिये। ऐसा करते समय भी उसने न तो वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाया और न सन्तुलन बनाने का प्रयास किया। एक ही मुद्दे पर जहाँ परस्पर विरोधी विचार एवं दृष्टिकोण दिखायी पड़े वहाँ उचित निष्कर्ष तक पहुँचने के लिये दोनों का तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित होता है। यदि इसमें तनिक भी असावधानी हुई तो निष्कर्ष एकपक्षीय हो जाता है और एकपक्षीय निष्कर्ष हमेशा सत्य से दूर होता है। सच्चर समिति अनजाने में अथवा जानबूझकर जल्दबाजी की बजह से यह भारी भूल कर बैठी। उसने परस्पर विरोधी मतों का तुलनात्मक परीक्षण नहीं किया। इसके उलट किसी एक विचार को निर्भ्रान्त मानकर उसी के आधार पर अपना निष्कर्ष निकाल लिया। इसका एक उदाहरण देखा जा सकता है। तीस्ता शीतलबाड़ और जावेद ने 'कम्युनलिज्म कम्बैट' के जुलाई 2004 के सम्पादकीय में भारतीय राज्य को मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का दोषी ठहराया था और चेतावनी दी थी कि यदि यही स्थिति रही तो इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे लोकतांत्रिक देशों का हस्तक्षेप हो सकता है। समिति ने तीस्ता और जावेद के इस अभिमत को पूर्ण सत्य एवं विश्वसनीय मानकर इसी के आधार पर अपने निष्कर्ष निकाल लिये। दुनियाँ के अन्य देशों में राज्यों द्वारा मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार होता है और उनकी तुलना में भारत में मुसलमानों को कितनी धार्मिक स्वतन्त्रता है, समिति ने यदि इस पर गौर किया होता तो उसके निष्कर्ष निश्चित रूप से भिन्न होते। उदाहरण के लिये फ्रान्स में मुस्लिम महिलायें नकाब पहनकर स्कूलों में नहीं जा सकती। जर्मनी में नमाज के वक्त लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अमेरिका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया में भी कमोबेश वही स्थिति है। वहाँ भी मुसलमान को वैसी धार्मिक स्वतन्त्रता नहीं है जैसी उन्हें भारत में प्राप्त है। भारत वर्ष में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सभी क्षेत्रों में मुसलमानों को संवैधानिक एवं

व्यावहारिक दोनों रूपों में पूर्ण स्वतन्त्रता मिली हुई है। राजनैतिक क्षेत्र में वे प्रधानमन्त्री को छोड़ लगभग सभी सर्वोच्च पदों को सुशोभित कर चुके हैं और कर रहे हैं। वे मुख्यमन्त्री रहे हैं काबीनामन्त्री रहे हैं, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तक रह चुके हैं। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक मुसलमानों की नियुक्ति हो चुकी है। कई राज्यों के राज्यपाल मुसलमान हैं और पूर्व में रहे हैं। संगीत फिल्म और कला जगत में उनका खासा दखल है। जिन देशों में शरीयत का कानून चलता है वहाँ भी मुसलमानों को जो सुविधायें नहीं मिली हुई हैं, भारतीय मुसलमानों को वो सुविधायें भी प्राप्त है। उदाहरण के लिये किसी इस्लामिक देश में मुसलमानों को हज यात्रा के लिए सब्सिडी नहीं मिलती परन्तु भारत में मुसलमानों को वह मिल रही है और साल दर साल उसकी राशि बढ़ती जा रही है। सच्चर कमेटी ने इन सारे तथ्यों को झुठलाते हुये 'कम्युनलिज्म कम्बैट' के एक मामूली से सम्पादकीय को आधार बनाकर भारतीय राज्य पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का इतना बड़ा आरोप मढ़ दिया।

कमेटी को अपने अध्ययन के दौरान गुजरात और बिहार से अनेक मुसलमान प्रतिनिधियों से ज्ञापन प्राप्त हुये थे। गुजरात के प्रतिनिधियों ने अपने ज्ञापनों में गुजरात सरकार और वहाँ की बहुसंख्यक हिन्दू जनता द्वारा मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया जिसे आधार बनाकर समिति ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिये। ऐसा करते समय उसने गुजरात के इतिहास पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो उसी क्षेत्र की जनता पर ऐसा आरोप मढ़ रही है जहाँ महात्मा गाँधी और सरदार पटेल सरीखे सर्वमान्य नेता हो चुके हैं। किसी खास राजनैतिक दल का कोई शीर्ष नेता विधान सभा चुनाव के दौरान गुजरात के मुख्यमन्त्री को 'मौत का सौदागर' कहे तो कुछ हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के तहत गठित कोई समिति जिससे तटस्थ आचरण की अपेक्षा की जाती है यदि किसी प्रदेश की जनता को अकारण किसी समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाने का आरोप लगाती है तो यह कहाँ तक उचित कहा जा सकता है। मजे की बात यह है कि इसी मुद्दे पर बिहार के मुसलमानों से समिति को जो ज्ञापन प्राप्त हुआ उस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। बिहार के दलित मुसलमानों ने समिति को ज्ञापन देकर समिति के ही सदस्य सचिव अबु सलेम शरीफ पर उच्च जातीय मुसलमानों का समर्थक होने का आरोप लगाया। आरोप के सर्मथन में बाकायदा तथ्य एवं प्रमाण

प्रस्तुत किये गये थे परन्तु समिति ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ज्ञापन में इस रहस्य का भी पर्दाफाश किया गया था कि मुसलमानों में जातीय आधार पर भेदभाव किया जाता है। ज्ञापन में यहाँ तक उल्लेख किया गया कि उच्च जाति के मुसलमान निम्न जातीय मुसलमानों को अछूत समझते हैं। मुसलमानों की समस्याओं पर मुसलमानों द्वारा लिखी गयी पुस्तकों में भी इस गम्भीर समस्या का उल्लेख हुआ है। जनता दल यू के सांसद अनवर अली ने '**मसावत का जंग**' नाम से एक पुस्तक लिखी है जो विरला फाउन्डेशन से प्रकाशित हुई है उसमें 2 प्रतिशत उच्च जातीय मुसलमानों द्वारा 98 प्रतिशत निम्न जातीय मुसलमानों को दबाकर रखने की बात कही गयी है। 'आल इण्डिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा' ने भी समिति को एक ज्ञापन दिया था जिसमें इसी तरह के आरोप को दोहराया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि इन ढेर सारी शिकायतों के बावजूद समिति ने अपनी रिपोर्ट में उनका नोटिस तक नहीं लिया।

सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाते समय समिति के कतिपय सदस्यों ने अति उत्साह में आकर अपने अध्ययन क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया जो न केवल हास्यास्पद बल्कि आपत्तिजनक भी कहा जा सकता है। समिति को मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन करने और उसमें परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं देने को कहा गया था परन्तु कछ सदस्यों ने आपस में मिलकर मनमाने ढंग से कमेटी के भीतर एक सब कमेटी बनाकर इस कार्य को अन्जाम दिया। सैय्यद हामिद, अबू सलेम शरीफ और दो अन्य सदस्य इस सब कमेटी में शामिल थे। जस्टिस सच्चर की अनुमति के बिना उन्होंने चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग को पत्र लिखकर धर्म के आधार पर जनसंख्या के आँकड़े माँगे। दोनों के द्वारा असमर्थता जताने पर जिलाधिकारियों से आँकड़े मँगवाये गये और उन आँकड़ों के आधार पर समिति ने सुझाव दिया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिये अब तक जो चुनाव क्षेत्र आरक्षित है उनमें यदि मुसलमानों की थोड़ी भी आबादी है तो उन्हें अनारक्षित घोषित किया जाये। समिति ने ऐसे क्षेत्रों को बाकायदा चिन्हित करके उन्हें अनारक्षित घोषित करने की हिदायत दी। संविधान और धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी ढाँचे पर प्रत्यक्ष चोट करने वाला ऐसा सुझाव उन्होंने किसके कहने पर दिया? यह समझ से परे है। कमेटी के एक अन्य सदस्य डॉ. राकेश बसन्त को आरम्भ में ही अपने सहयोगियों की अनाधिकार चेष्टाओं का पता लग गया था और उन्होंने समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सच्चर को ई-मेल संदेश भेजकर

आगाह भी कर दिया था फिर भी सैय्यद हामिद और अबू सलेम की करतूतें पूर्व की भाँति जारी रहीं क्योंकि उन्हें राजिन्दर सच्चर का प्रत्यक्ष न सही किन्तु परोक्ष समर्थन अवश्य प्राप्त था। वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली की उपेक्षा और अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है?

कमेटी ने पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाते समय इधर-उधर से प्राप्त आँकड़ों को आधार बनाया परन्तु आँकड़ों का चुनाव करते समय किसी वैज्ञानिक पद्धति को नहीं अपनाया गया। परस्पर विरोधी आँकड़ों का तुलनात्मक परीक्षण करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। कुछ आँकड़ों को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया और कुछ यों ही दरकिनार कर दिये गये। प्रजनन दर और जनसंख्या वृद्धि से सम्बन्धित आँकड़ों पर न कोई ध्यान दिया गया और न उनके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला गया जबकि वे आंकड़े अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं तथा उनके आधार पर बहुत से तथ्यों का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिये जनसंख्या वृद्धि देश के सम्मुख एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी को भी यह जानकर आश्चर्य होगा कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने स्वाधीनता से पहले इस विस्फोटक समस्या की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया था और प्राथमिकता के आधार पर उसे नियन्त्रित करने का सुझाव दिया था। आज तो यह समस्या उससे कहीं अधिक खतरनाक रूप धारण कर चुकी है। सरकार द्वारा समय-समय पर जनसंख्या नियन्त्रण के लिये अनेक कदम उठाये गये परन्तु मुसलमानों ने उन कदमों का स्वागत करने तथा सरकार का सहयोग करने के स्थान पर हमेशा उसका विरोध किया। परिवार नियोजन के कृत्रिम साधनों की मुसलमानों द्वारा खुली अवहेलना की जाती है जिससे उनमें प्रजनन दर सामान्य औसत से अधिक है। मुसलमानों की जनसंख्या में सर्वत्र राष्ट्रीय औसत से अधिक वृद्धि हो रही है। एतद् सम्बन्धी आँकड़े समिति के सामने रखे गये परन्तु समिति ने उन्हें कोई महत्व नहीं दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित इतनी बड़ी समस्या समिति के लिये कोई महत्व नहीं रखती। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि सच्चर महाशय की अध्यक्षता वाली समिति ने अध्ययन की कोई वैज्ञानिक प्रणाली नहीं अपनायी और मनमाने ढंग से अपने निष्कर्ष निकाल लिये। इस तरह के निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं हो सकते और उनके आधार पर जो सुझाव दिये गये हैं और उन सुझावों को ध्यान में रखकर सरकार मुसलमानों के हित में जो फैसले ले रही है उनसे सरकार और उनके सहयोगी दलों के वोट में वृद्धि भले हो जाये, देश का कोई हित

नहीं हो सकता।

लोकतान्त्रिक परम्पराओं की अवहेलना

समिति ने रिपोर्ट तैयार करने में जितनी हड़बड़ी दिखाई सरकार ने उसे स्वीकार करने में उससे भी अधिक जल्दबाजी का परिचय दिया। सरकार के रवैये को देखकर ऐसा लगता है कि वो रिपोर्ट स्वीकार करने को तैयार बैठी थी। आमतौर पर किसी समिति अथवा आयोग द्वारा सरकार को सौंपी गयी रिपोर्ट का सर्वप्रथम विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा गहन अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है। सरकार आवश्यक समझे तो उस समिति में मंत्रिपरिषद् के किसी वरिष्ठ सदस्य को नामित कर सकती है। अथवा उसे उस समिति का प्रमुख बना सकती है। समिति रिर्पोट का अध्ययन करने के उपरान्त उसके निष्कर्षों को बिन्दुवार सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करती है जिस पर मंत्रिपरिषद् की बैठक में विचार किया जाता है। स्वस्थ परम्परा यह है कि मंत्रिपरिषद् में रिपोर्ट के बिन्दुवार निष्कर्षों पर खुलकर बहस हो। बहस के उपरान्त रिपोर्ट के कुछ बिन्दुओं को स्वीकार किया जाता है और कुछ अस्वीकार कर दिये जाते हैं इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार द्वारा रिपोर्ट पर जो कार्यवाही होती है उसे सामान्य भाषा में 'ऐक्शन टेकन रिपोर्ट' (A.T.R.) कहते हैं। सरकार द्वारा तैयार की गयी यह कार्यवाही रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जाती है जहाँ उस पर व्यापक बहस होती है संसद में बहस के उपरान्त कार्यवाही रिपोर्ट का फाइनल प्रारूप सामने आता है जिस पर सरकार अमल करती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मामले में इस परम्परा का किसी भी स्तर पर पालन नहीं किया गया। कमेटी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को बिना किसी परिवर्तन के हूबहू उसी रूप में तत्काल स्वीकार कर लिया गया।

हम सभी जानते हैं कि भारत एक गणतान्त्रिक देश है 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क मतदाता प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से सांसदों एवं विधायकों का चुनाव करते हैं। चुने हुये सांसदों और विधायकों से लोकसभा तथा विधानसभा का गठन होता है। लोकसभा में आधे से अधिक सांसदों का विश्वास प्राप्त करके जो सदन का नेता चुना जाता है उसी के नेतृत्व में सरकार अथवा मंत्रिपरिषद् संसद के प्रति जबाबदेह होती है। सच्चर कमेटी की अतिमहत्वपूर्ण एवं संवेदनशील रिपोर्ट को स्वीकार करने से पूर्व सरकार ने संसद को विश्वास में नहीं लिया। ऐसा करने से न केवल सरकार की दूषित भावना का संकेत मिलता है बल्कि सरकार ने जानबूझकर देश की महान

लोकतांत्रिक परम्परा का अपमान किया। ऐसा करने के पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? समिति की संस्तुतियों की समीक्षा करते समय इस पर थोड़ा विचार किया जायेगा।

अभिमत और संस्तुतियाँ

सरकार की ओर से सच्चर कमेटी को मुख्यत: दो कार्य सौंपे गये थे-

1. मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाना और

2. उनकी स्थिति में सुधार के लिये सरकार को आवश्यक सुझाव देना। समिति ने मुसलमानों के पिछड़ेपन के कारणों का जो खुलासा किया वह अत्यन्त चौंकाने वाला है। उसने भारत सरकार, उसकी नौकरशाही और बहुसंख्यक हिन्दू जनता सबको एक साथ मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिये जिम्मेदार ठहराकर कटघरे में खड़ा कर दिया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मुसलमान अपने को सर्वत्र असुरक्षित महसूस करते हैं। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक नकाबपोश मुस्लिम महिलाओं और दाढ़ी-टोपी वाले मुस्लिम युवकों को बहुसंख्यक हिन्दू जनता घृणा एवं संदेह की दृष्टि से देखती है। सच्चर कमेटी के अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों तक नहीं पहुँच पाता। इसके लिये सरकार की पूरी मशीनरी को मुसलमानों के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का दोषी ठहराया गया है। रिपोर्ट में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार करने का खुला आरोप लगाया गया है। ये बताया गया है कि सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दोनों तरह की नौकरियों में चयन के समय मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। सच्चर कमेटी ने भारत की बैंकिग प्रणाली पर भी हमला किया है। उसका कहना है कि इस्लाम में ब्याज लेना और देना दोनों हराम होने से मुसलमान राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण सुविधा का समुचित लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिये समानान्तर बैंकिंग प्रणाली स्थापित करके मुसलमानों को सरकारी बैंकों से ऋण की सुविधा दी जाये। वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की शिकायतें हर बार चुनाव के समय चुनाव आयोग को प्राप्त होती हैं अब तक दलीय निष्ठा के आधार पर नाम गायब होने की शिकायतें मिलती थी विभिन्न राजनैतिक दल और उम्मीदवार अपने विरोधियों पर जानबूझकर नाम गायब करने का आरोप लगाते थे। सच्चर कमेटी ने इसमें एक नया अध्याय जोड़ दिया। उसका कहना है कि

वोटर लिस्ट से जानबूझकर मुसलमानों का नाम गायब किया जाता है। इसके लिये वोटर लिस्ट तैयार करने में लगी सरकारी मशीनरी को दोषी ठहराया गया है। नवोदय विद्यालयों में मुसलमान बच्चों का कम दाखिला होने पर भी समिति ने गहरी चिन्ता प्रकट की है। उसका मानना है कि प्राथमिक स्तर पर उर्दू को पर्याप्त प्रोत्साहन न मिलने के कारण मुसलमान बालक नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में सफल नहीं हो पाते।

मुसलमानों की बदहाली दूर करने के लिये समिति ने सरकार के सम्मुख जो सुझाव पेश किये हैं वे भी कम दिलचस्प नहीं है। समिति ने सुझाव दिया है कि मुसलमानों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिये योजना का एक निश्चित भाग जिले स्तर पर मुसलमानों के लिये आरक्षित कर दिया जाये। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये एक कमेटी के गठन का सुझाव दिया गया है। सच्चर कमेटी का मानना है कि क्रियान्वयन समिति में केवल अल्पसंख्यक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिये समिति ने चौंकाने वाला सुझाव दिया है। रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार मदरसों में आधारभूत सुविधाओं से लेकर शिक्षकों के वेतन तक सम्पूर्ण व्यय स्वयं उठाये किन्तु शिक्षकों की नियुक्ति और पाठ्यक्रम निर्धारण में उसका कोई दखल न रहे, कैसा नायाब सुझाव है। समिति ने मुसलमानों को सरकारी बैंकों से ब्याजमुक्त ऋण दिलाने की अनोखी सिफारिश कर डाली। वोटर लिस्ट से मुसलमानों का नाम गायब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया है। सच्चर कमेटी ने मतदाताओं में भी धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक मदरसा शिक्षा को C.B.S.E. के समकक्ष दर्जा मिलना चाहिये। सरकार ने इस सिफारिश को तत्काल प्रभाव से स्वीकार भी कर लिया। मुस्लिम बहुल चुनाव क्षेत्रों को मुसलमानों के लिये आरक्षित करने का समिति ने सुझाव रखा है। यदि ऐसे क्षेत्र पहले से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित हैं तो उन्हें अनारक्षित घोषित कर मुसलमानों के लिये नये सिरे से आरक्षित किया जाना चाहिये। समिति ने अपनी रिपोर्ट में मौलाना आजाद फाउन्डेशन के कारपस फण्ड को बढ़ाने की भी सिफारिश की है।

समिति की सिफारिशों को सरकार ने न केवल आनन फानन में स्वीकार कर लिया बल्कि तत्काल प्रभाव से उन पर अमल भी होने लगा। सिफारिशों के मद्देनजर

खुद प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह ने स्थान-स्थान पर सरकारी समारोहों एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में चौंकाने वाले वक्तव्य देने आरम्भ कर दिये। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुये उन्होंने कहा कि देश के आर्थिक संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होना चाहिये। उनके इस वक्तव्य की चतुर्दिक आलोचना हुई। गौर करने की बात ये है कि वे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी है। अर्थशास्त्री से राजनेता बनते समय उन्होंने इस तथ्य को नजरन्दाज कर दिया कि अर्थशास्त्र की किसी भी पुस्तक में आर्थिक संसाधनों को साम्प्रदायिक आधार पर आरक्षित करने की बात नहीं कही गयी है। सिफारिशों के मद्देनजर प्रधानमन्त्री ने बैंकों को ये भी सुझाव दे डाला कि ऋण देते समय वे मुसलमानों का विशेष ध्यान रखें । प्रधानमन्त्री द्वारा आर्थिक संसाधनों के वितरण में गरीबी को आधार न मानकर मत अथवा पंथ को आधार मानने का अनुचित सुझाव क्यों दिया गया, इस पर आगे कुछ विचार किया जायेगा।

समीक्षात्मक विश्लेषण

मुसलमानों के पिछड़ेपन के कारणों पर सच्चर कमेटी ने अपने जो विचार प्रकट किये हैं पहले उनकी समीक्षा करने के उपरान्त कमेटी द्वारा मुसलमानों की भलाई के लिये सरकार को दिये गये सुझावों का परीक्षण करेंगे। जैसा कि हम कह चुके हैं कमेटी की दृष्टि में मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिये भारत सरकार उसकी नौकरशाही और भारत की बहुसंख्यक हिन्दू जनता सभी दोषी है। यह मत न तो सत्य है और न तथ्यों पर आधारित। यह सर्वविदित सत्य है कि कोई भी समाज अपनी आन्तरिक दुर्बलता के कारण प्रगति की दौड़ में पिछड़ता है और जब तक उस समाज के भीतर से उन दुर्बलताओं को दूर करने के लिये गम्भीर प्रयास नहीं हेाते तब तक वो समाज प्रगति की दौड़ में आगे नहीं बढ़ पाता। हिन्दू समाज में अति प्राचीन काल से सुधार के लिये समय-समय पर प्रयास होते रहे हैं। आधुनिक काल में उस प्रयास में अधिक तीव्रता आयी है। लम्बे समय तक मुसलमानों के सम्पर्क प्रभाव एवं दबाव में रहने के कारण हिन्दू समाज में अनेक कुरीतियाँ घुस गयी थी। मसलन बाल विवाह, स्त्री अशिक्षा एवं पर्दा प्रथा मुसलमानों के प्रभाव से ही हिन्दू समाज में आयी। आधुनिक काल में इनके खिलाफ जबरदस्त आन्दोलन हुये जिनके परिणामस्वरूप बाल विवाह की कुप्रथा बहुत हद तक समाप्त हो गयी, स्त्रियों में बड़ी तेजी से शिक्षा का प्रचार हुआ स्त्रियाँ परदे से निकलकर खुली हवा में साँसे लेने लगी। आज समाज एवं राष्ट्र जीवन के

विविध क्षेत्रों में हिन्दू समाज की स्त्रियाँ पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही है। मुस्लिम समाज की स्थिति इसके एकदम विपरीत है। वहाँ परदा प्रथा आज भी उसी रूप में विद्यमान है परन्तु उसके खिलाफ आन्दोलन तो दूर उसको यथावत कायम रखने के प्रयास बदस्तूर जारी है। साधारण मुसलमान आज भी लड़कियों को स्कूल भेजना और स्कूल दफ्तर तथा कारखानों में उनका काम करना पसन्द नहीं करते। स्कूलों, कॉलेजों में नकाबपोश लड़कियों की खासी संख्या देखी जा सकती है। पोलिंग बूथों पर मुसलमान घरों की महिलायें नकाब के कारण दूर से पहचानी जा सकती है। क्या मजाल कोई इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठा दे क्योंकि कुरान में महिलाओं के लिये नकाब पहनना जरूरी कर दिया गया है। कुरान के वचनों को अन्तिम सत्य मान लेने के कारण मुसलमानों की प्रगति के मार्ग में अनेक बाधायें खड़ी हो गयी परन्तु इस सत्य को स्वीकारने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। इसके विपरीत भारत सरकार उसकी अफसरशाही जिसमें पुलिस और प्रशासन दोनों शामिल हैं तथा बहुसंख्यक हिन्दू जनता को अकारण उसके लिये दोषी ठहराया जा रहा है।

मुस्लिम समुदाय अपनी प्राचीन धार्मिक मान्यताओं में इस प्रकार जकड़ा हुआ है कि उसके लिये नवी के निर्देषों और धर्मग्रन्थ की हिदायतों के आगे संसद, सरकार, संविधान और न्यायालय सभी बौने हैं। शाहबानों का मामला इसका ताजा उदाहरण है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक तलाकशुदा बेसहारा औरत के पति को गुजारा भत्ता देने के निर्देष पर कट्टरपंथी मुल्लाओं ने इस कदर हाय-तौबा मचाया कि तत्कालीन राजीव गाँधी सरकार को बहुमत का दुरूपयोग करते हुये संविधान में संशोधन करने के लिये बाध्य होना पड़ा। भारत के मुसलमान संविधान और न्यायालय का वहीं तक आदर करते हैं जहाँ तक वो उनकी धार्मिक मान्यताओं एवं सामाजिक रीति रिवाजों के आड़े न आये। हाल ही में एक कार्टूनिस्ट द्वारा मोहम्मद साहब का कथित कार्टून बनाये जाने पर मुस्लिम समुदाय में जो प्रतिक्रिया हुई उसे पूरे देश में खुली आँखों से देखा। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार में मन्त्री रहते हुये एक मुसलमान ने लाखों की भीड़ में कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले को सोने से तौलने का फतवा जारी कर दिया और सरकार उसके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसको एक कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं हुआ इसके बावजूद सच्चर कमेटी ने मुसलमानों की बदहाली का ठीकरा सरकार के सिर पर फोड़ दिया।

मुसलमानों में प्रजनन दर की अधिकता और जनसंख्या वृद्धि में तीव्रता पर सच्चर कमेटी ने मौन साध रखा है उसको इसमें कोई अनौचित्य नहीं दिखायी पड़ता। उल्टे समिति की यह टिप्पणी है कि यदि मुसलमानों की संख्या हिन्दुओं की तुलना में अधिक हो जाये तो इससे देश पर क्या फर्क पड़ने वाला है। जनसंख्या वृद्धि के लिये वास्तव में मुसलमानों की धार्मिक मान्यतायें उत्तरदायी है। अधिकतर मुसलमान परिवार नियोजन के अस्थायी अथवा स्थायी साधनों को अपनाना धार्मिक शिक्षाओं के खिलाफ मानते हैं। इसी कारण सरकार का परिवार नियोजन कार्यक्रम मुस्लिम समुदाय के भीतर एकदम प्रभावहीन तथा असफल साबित हुआ है। परिवार नियोजन के कृत्रिम साधनों का अपनाना तो दूर सरकार द्वारा पोलियो उन्मूलन के लिये चलाये गये अभियान तक को मुसलमानों ने नकार दिया है। इस अभियान में लगे स्वास्थ्य कर्मी मुस्लिम बहुल आबादी वाले गाँव में जाने से डरते हैं। जो समाज कुरीतियों तथा अन्धविश्वासों से ग्रस्त होकर अपने ही हाथों अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार खड़ा हो उसकी बदहाली को दूसरा कौन दूर कर सकता है।

दुनियाँ का इतिहास इस बात का गवाह है कि जो समाज अथवा जनसमुदाय अपनी पुरानी धार्मिक मान्यताओं को नये जमाने की रोशनी में पुनः परिभाषित करना नहीं सीखता वह तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। मुसलमानों ने विशेष रूप से भारत के मुसलमानों ने यह सीखा ही नहीं अथवा यह कहना चाहिये कि उन्हें यह सीखने ही नहीं दिया गया। इसलिये आधुनिक युग में प्रगति के मार्ग पर बढ़ना तो दूर अलबत्ता जेहाद के रास्ते पर वे दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहे हैं और सारी दुनियाँ एकजुट होकर भी उन्हें उस रास्ते पर जाने से रोकने में असमर्थ है। मुसलमानों ने अपनी मर्जी से अपने ही द्वारा अपने लिये जिस अंधेरी गुफा का निर्माण किया है उस गुफा से जब तक वे बाहर आकर नये जमाने की रोशनी में आँखे नहीं खोलेंगे तब तक सच्चर कमेटी की कोई रिपोर्ट अथवा वोट की लालची सरकार एवं राजनीतिक दलों द्वारा उस रिपोर्ट पर की गयी कोई कार्यवाही उन्हें उनकी मौजूदा बदहाली से छुटकारा नहीं दिला सकती। मुसलमानों को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है किसी इमदाद की नहीं।

समिति की सिफारिशों का परीक्षण करते समय मुख्य रूप से तीन बिन्दु ध्यान में आते हैं जिनमें एक का सम्बन्ध बैंकिंग प्रणाली से है और दो बिन्दु शिक्षा पद्धति से सम्बन्धित है। न केवल भारत वर्ष में बल्कि सम्पूर्ण विश्व में ब्याज का लेनदेन बैंकिंग

प्रणाली का एक अविभाज्य अंग है। बैंक से ऋण के रूप में ली गयी धनराशि पर ब्याज चुकाना पड़ता है और बैंक में जमा धनराशि पर ब्याज प्राप्त होता है। कुरान में ब्याज लेने और देने दोनों की सख्त मनाही है। इसलिये भारतीय मुसलमान न तो सार्वजनिक बैंकों में पैसा रख सकते हैं और न उन बैंकों से ऋण ले सकते हैं। उन्होंने भारतीय बैंकिंग प्रणाली के समानान्तर एक अन्य बैंकिंग प्रणाली स्थापित कर रखी है ठीक उसी प्रकार जैसे सरकारी अदालतों के समानान्तर सरई अदालतों तथा काजियों एवं मुल्लाओं के फतवों का प्रचलन है। सच्चर कमेटी के सामने चुनौती थी कि वो इस समस्या का हल किस प्रकार सुझाये। भारत समेत सारी दुनियाँ में प्रचलित बैंकिंग प्रणाली का आदर करते हुये सामान्य भारतीय नागरिकों की भाँति मुसलमान भी सरकारी बैंकों से लेनदेन करें। सच्चर कमेटी ऐसा सुझाव देने का साहस नहीं जुटा पायी। इसके विपरीत उनसे भारत सरकार को सुझाव दे डाला कि वो मुसलमानों के लिये अलग से ब्याज मुक्त ऋण की व्यस्था करें।

ब्याज की रकम के रूप में बैंकों को धन प्राप्त होता है वो आधारभूत सुविधायें जुटाने तथा कर्मचारियों को वेतन देने में काम आता है। बैंकों को यदि यह धन प्राप्त नहीं होगा तो आधारभूत सुविधाओं तथा कर्मचारियों के वेतन का प्रबन्ध कहाँ से होगा? जाहिर है कि यह सारा वित्तीय भार प्रत्यक्ष रूप से सरकार को वहन करना पड़ेगा। सरकार उसे अतिरिक्त कर के रूप में बहुसंख्यक हिन्दू जनता से वसूल करेगी। अभी तक धार्मिक कार्यों जैसे हज यात्रा के लिये मुसलमानों को सरकार की ओर से धन मुहैया कराया जाता है अब रोजमर्रा के खर्च और व्यवसाय के लिये भी सरकार उन्हें मुफ्त सुविधायें उपलब्ध करायेगी, जस्टिस सच्चर की क्या मंशा है? क्या वो मुसलमानों को पूरी तरह से इस देश पर विशेष रूप से हिन्दू जनता पर बोझ बनाकर रखना चाहते हैं? जिस देश की चौथाई आबादी अपने धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक कार्यों के लिये ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिये भी पूरी तरह से सरकार पर निर्भर हो जाये क्या वो देश तरक्की कर सकेगा? सच्चर महोदय को इन तथ्यों पर भी विचार करना चाहिये था।

मदरसा शिक्षा पर सच्चर कमेटी ने सरकार को जो सुझाव दिये हैं उनमें एक सुझाव ये है कि सरकार मदरसों को पर्याप्त धन तो मुहैया कराये परन्तु उनके काम काज में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करे। ये भला कैसे सम्भव है। जो धन उपलब्ध कराये उसे यह भी जानने का हक न रहे कि मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है उनमें

किस प्रक्रिया से ओर किस प्रकार के शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं ये तो सरेआम दादागीरी है। ऐसी हरकतों के लिये ही यह कहावत बनी है ''बैठो तेरी गोद में उखारो तेरी दाढ़ी'' यह एक विचारणीय प्रश्न है कि मदरसों के पाठ्यक्रम में पारदर्शिता का विरोध क्यों किया जाता है? मुसलमानों के रहनुमा मदरसों के पाठ्यक्रम को अत्यधिक गोपनीय क्यों बनाये रखना चाहते हैं? मदरसों में पढ़ायी जाने वाली एक पुस्तक को देखते समय प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक ने कुछ प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मदरसे की एक किताब में लिखा है कि भारत में मुसलमानों का राज स्थापित होने से पहले शिक्षा, संस्कृति, कला और विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ था। भारत को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने का सारा श्रेय बाहर से आये हुये मुसलमान शासकों को है। भारतीय इतिहास से थोड़ा भी परिचय रखने वाला कोई विचारशील व्यक्ति क्या इस तथ्य पर विश्वास करेगा? एक ओर हम यह कहते हैं कि सुदूर अतीत में भारत विश्वगुरु था, शेष विश्व के लोग उसे सोने की चिड़िया के रूप में जानते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशों से भारी संख्या में लोग शिक्षा प्राप्त करने आते थे। यहाँ दूध, दही और घी की नदियाँ बहती थीं। दरवाजे पर आये हुये अतिथि को हाथ पाँव धोने के लिये जल दिया जाता था, पीने के लिये दूध मिलता था। इसके विपरीत मदरसों में मुसलमान छात्रों को ऐसी बे सिर-पैर की बातें पढ़ायी जाती है। सम्भवत: इसीलिये वे अपनी पाठ्य सामग्री को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। इसका एक दूसरा कारण भी है जो इससे अधिक गम्भीर खतरनाक तथा आपत्तिजनक है। अधिकांश मदरसे आतंकवादियों तथा घुसपैठियों के लिये शरण स्थल बने हुये हैं। जहाँ से वे बेखोफ होकर अपनी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को अन्जाम देते हैं। यदि मदरसों के भीतर चलने वाली गतिविधियों तक बाहरी लोगों की पैठ हो गयी तो इस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना असम्भव हो जायेगा। इसीलिये वे बाहर के किसी व्यक्ति को भीतर नहीं आने देना चाहते।

समिति का शिक्षा से सम्बन्धित दूसरा सुझाव ये है कि मदरसा शिक्षा को CBSE के समकक्ष मान्यता दे दी जाये। सरकार ने इस सुझाव को तत्काल प्रभाव से लागू करके खतरनाक दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। जिस शिक्षा का नवीन सभ्यता, संस्कृति एवं आधुनिक ज्ञान, विज्ञान से दूर-दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है उसे CBSE के समकक्ष मान्यता देने से अनेक समस्यायें उत्पन्न होने का खतरा है। मदरसे से जेहादी मानसिकता लेकर निकले हुये छात्र सरकारी

नौकरियों में जाने के हकदार हो जायेंगे। ऊँचे सरकारी ओहदों पर बैठकर वे समाज में जेहादी मानसिकता का प्रचार-प्रसार करेंगे जिससे भविष्य में भारत में वे समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी जिनसे आज पाकिस्तान जूझ रहा है। विडम्बना ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली वर्तमान संप्रग सरकार इस खतरे से एकदम बेखबर है। तभी तो उसने समिति की सिफारिश को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। वोट के लालच में मुस्लिम समुदाय के प्रति मौजूदा केन्द्र सरकार का यही पक्षपातपूर्ण रवैया कायम रहा तो भविष्य में देश को अनेक गम्भीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करने और उसके कतिपय प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू करने में केन्द्र सरकार ने इतना उतावलापन क्यों दिखाया? यह प्रश्न भी विचारणीय है। इस बात में किसी को सन्देह नहीं होना चाहिये कि सच्चर कमेटी का गठन राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर किया गया और विगत लोकसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने के लिये ही उसकी रिपोर्ट को आनन-फानन में न केवल स्वीकार किया गया बल्कि उसके कुछ प्रावधानों को लागू भी कर दिया गया। 1989 से चुनाव दर चुनाव काँग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा था। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमान मतदाता कतिपय कारणों से कांग्रेस का साथ छोड़कर क्रमश: सपा और राजद के पाले में चले गये थे। कांग्रेस को उन्हें अपने साथ लाने की चिन्ता सता रही थी इसी क्रम में कांग्रेस नेतृत्व के शातिर दिमाग में सच्चर कमेटी के गठन की कल्पना ने आकार ग्रहण किया। यदि लोकसभा चुनाव के पूर्व यह सारी कवायद पूरी न कर ली जाती तो कांग्रेस को चुनाव में उसका कोई लाभ न मिलता इसीलिये ये उतावलापन दिखाया गया इसमें सन्देह नहीं कि विगत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उसका लाभ मिला और वो अचानक पहले से अधिक मजबूत होकर उभरी। परन्तु इसी के साथ इस बात का पूरा खतरा भी है कि विजय के उत्साह में यदि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण का अपना अभियान इसी तरह जारी रखा तो भविष्य में देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

न्यायालय की टिप्पणी

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करने से रोकने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय में केन्द्र सरकार के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई। न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर और सिद्धार्थ मृदुल मामले की सुनवाई कर रहे थे। केन्द्र सरकार की

ओर से सहायक महाधिवक्ता पी. पी. मलहोत्रा मुकदमें की पैरवी कर रहे थे। सुनवाई के दौरान जजों ने बीच-बीच में जो टिप्पणियाँ की और सहायक महाधिवक्ता से जो प्रश्न पूछे वे जस्टिस सच्चर तथा प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह दोनों की आँखे खोलने वाले हैं। मुसलमानों के उत्थान के लिये विशेष प्रयास करने के कमेटी के सुझाव पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुये न्यायालय ने कहा कि यह एक समुदाय विशेष के तुष्टीकरण का प्रयास तो नहीं है। न्यायालय ने कहा कि सरकार को सबकी भलाई के लिये पैसा खर्च करना चाहिये जबकि वो किसी एक समुदाय के उत्थान के लिये धन खर्च करने पर अमादा है। बहस के बीच में हस्तक्षेप करते हुये न्यायाधीश ठाकुर ने जानना चाहा कि सच्चर समिति के गठन के पीछे सरकार की मंशा क्या थी? क्या एक समुदाय का तुष्टीकरण करने के लिये गठित की गई थी ? न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा कि यदि आप गरीबी से लड़ना चाहते हैं तो धर्म उसमें आड़े क्यों आ रहा है? सहायक महाधिवक्ता ने पीठ को बताया कि केन्द्र सरकार ने 90 मुस्लिम बहुल पिछड़े जिलों की पहचान कर उनमें ज्यादा से ज्यादा सहकारी बैंकों की शाखायें खोलने का निर्देश दिया है ताकि मुसलमानों की तरक्की में मदद मिल सके। इस पर न्यायालय ने पूछा कि मुसलमानों पर ज्यादा पैसा खर्च करने का मतलब यह तो नहीं है कि बहुसंख्यक हिन्दू आबादी पर कम पैसा खर्च किया जायेगा। न्यायाधीशों ने महाधिवक्ता को याद दिलाया कि सरकार को सभी समुदायों के उत्थान के लिये कटिबद्ध होना चाहिये। अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिये कार्य हो रहा है तो बहुसंख्यक समुदाय के लिये क्यों नहीं।

दूरगामी प्रभाव

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा? इसका विश्लेषण करने के लिये हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में मुसलमानों ने हिन्दुओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर संघर्ष किया था। युद्ध में विजय तो हासिल नहीं हुई परन्तु दोनों समुदायों के बीच अभूतपूर्व एकता देखकर अंग्रेजों के पाँव तले की जमीन खिसकने लगी। उन्होंने दोनों समुदायों के बीच फूट डालने के लिये गम्भीरतापूर्वक सोचना तथा योजनायें बनाना आरम्भ किया। मुसलमानों को तरह-तरह से लालच देकर हिन्दुओं से अलग करना तथा उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से काटना अंग्रेजों का प्राथमिक उद्देश्य बन गया। फूट डालकर राज करने की अंग्रेजों की कुटिल नीति वहीं से आरम्भ हुई।

मुसलमानों के मन में अलगाववाद की भावना उत्पन्न करने के लिये ब्रिटिश शासकों द्वारा एक के बाद एक प्रयास किये जाने लगे। प्रयासों की उसी श्रंखला में 1871 में विलियम हण्टर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया जो इतिहास में हण्टर कमेटी के नाम से विख्यात है। समिति को मुसलमानों की स्थिति का अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। समिति ने चार हफ्तों में अपना काम पूरा कर रिपोर्ट सौंप दी। कालान्तर में वही रिपोर्ट 'इंडियन मुसलमान्स' नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित हुई। उस समय न किसी ने उस पर ध्यान दिया और न उसे गम्भीरता से लिया। परन्तु 70 साल बाद उस पुस्तक का राष्ट्र के जीवन पर घातक प्रभाव दिखाई पड़ा। अलगाववाद का समर्थन करने वाले प्रत्येक शिक्षित मुसलमान के लिये वह पुस्तक कुरान से अधिक महत्वपूर्ण एवं पठनीय बन गई अलगाववाद अथवा द्विराष्ट्रवाद का सिद्धान्त गढ़ने में उस पुस्तक ने आधार ग्रन्थ का काम किया। 1871 में जो जहरीला पौधा रोपा गया था 1940 में वो फलने लगा, 135 साल बाद काँग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार पुन: अंग्रेजों के दिखाये उसी खतरनाक रास्ते पर चल पड़ी। वो इतिहास से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। फूट डालकर राज करने की कुटिल नीति के तहत अंग्रेजों ने मुस्लिम तुष्टीकरण का जो नया रास्ता खोज निकाला था अनजाने में अथवा जानबूझकर काँग्रेस ने उसे लगातार प्रशस्त किया है। आजादी से पहले स्वाधीनता आन्दोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिये स्वयं महात्मा जी ने उनकी राष्ट्रविरोधी माँगों का समर्थन करने में कोई संकोच नहीं किया। उनके द्वारा खिलाफत आन्दोलन का समर्थन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके बावजूद मुसलमानों में गाँधी जी पर कभी भरोसा नहीं किया। मुसलमानों की जिद के आगे महात्मा जी ने सदैव घुटने टेके। परिणामस्वरूप उनकी आँखों के सामने देश के टुकड़े हो गये और वे देखते रहे। देश बंट जाने के बाद भी काँग्रेस के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण की अपनी पुरानी नीति को जारी रखा। मुसलमानों के थोक वोट पर 50 साल से अधिक समय तक वह देश पर एकतरफा शासन करती रही। नरसिंह राव सरकार के समय अयोध्या में विवादित ढ़ाँचा ढहने के बाद मुसलमान काँग्रेस का साथ छोड़कर उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रमश: मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हो गये जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र सहित दोनों प्रदेशों में काँग्रेस की लोकप्रियता का ग्राफ साल दर साल घटता चला गया। पिछले अनेक वर्षों से काँग्रेस नेतृत्व को यह चिन्ता खाये जा रही थी कि वह

अपने परम्परागत वोट को दोबारा किस प्रकार अपने साथ जोड़ा जाये। वर्षों तक केन्द्रीय सत्ता से बाहर रहने के कारण उसे इसके लिये उपयुक्त अवसर नहीं मिल पा रहा था। 2004 में पुन: सत्ता में आते ही कांग्रेस ने इस दिशा में प्रयत्न आरम्भ कर दिया जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2005 में सच्चर कमेटी अस्तित्व में आयी। वास्तव में यह सब मुस्लिम तुष्टीकरण के प्रयास का नतीजा है और इसका एकमात्र उद्देश्य है मुसलमानों का थोक वोट बटोरना है, विगत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उसका लाभ मिल चुका है। इसलिये अब दूने जोश के साथ वो अब इस एजेण्डे पर काम करेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसकी कुछ झलक दिखलाई पड़ी। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने अपने अभिभाषण में बताया है कि केन्द्र सरकार द्वारा गठित सच्चर समिति ने मुसलमानों की स्थिति का समेकित रूप में जायजा लिया ताकि सरकार विकास में आयी सापेक्ष कमियों को पूरा कर सके। उन्होंने बताया कि सरकार में सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में विकास अन्तरालों को पाटने की दृष्टि से बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू किया है। राष्ट्रपति ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि वर्ष 2008-09 के दौरान अल्पसंख्यकों को इंदिरा आवास योजना के तहत 2.39 लाख घर आवंटित किये गये। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यकों को ऋण की उपलब्धता तीव्रता से बढ़ी है और आशा है कि ये बढ़कर 15 प्रतिशत तक पहुँच जायेगी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 500 से अधिक शाखायें खोली हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में मौजूदा केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक और आर्थिक समावेश को और मजबूत बनाने के लिये एक नया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बनाया है और उनके कल्याण के लिये प्रधानमंत्री ने नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है। एक सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री के नेतृत्व वाली मौजूदा केन्द्र सरकार किस प्रकार सोची समझी रणनीति के तहत देश में अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा दे रही है यह देखकर न केवल आश्चर्य होता है बल्कि क्षोभ से मन भर उठता है। यह है छद्म धर्मनिरपेक्षता का बेनकाब चेहरा। विचारशील लोग जहाँ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्वधर्म समभाव बताते हैं वहीं वोट के लालची राजनीतिक दलों के लिये वो मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्याय बन गया है।

वोट के लालच में अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देकर काँग्रेस पुरानी मुस्लिम लीग के रास्ते पर चल रही है। आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को यह

समझाने का प्रयास किया था कि हिन्दुओं के कारण वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं और जब तक वे हिन्दू बहुमत वाले भारत में रहेंगे तब तक उन्हें आर्थिक न्याय नहीं मिल पायेगा। सच्चर कमेटी के माध्यम से आज पुन: काँग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार मुसलमानों को यही समझाने का प्रयास कर रही है। कतिपय राजनीतिक पण्डितों का यह कहना गलत नहीं है कि आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने जो भूमिका निभाई थी वर्तमान काँग्रेस आज के सन्दर्भ में उसी भूमिका का बखूबी निर्वाह कर रही है। उसे अपने पूर्वजों द्वारा दी गई चेतावनी की भी परवाह नहीं है। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों को आरक्षण के मुद्दे पर चली लम्बी बहस का उत्तर देते हुये सरदार पटेल ने निर्णायक स्वर में कहा था कि यदि धार्मिक आधार पर आरक्षण की अनुमति दी गई तो देश पुन: विभाजित हो जायेगा। उन्हीं सरदार पटेल के उत्तराधिकारी कहलाने वाले आज बड़ी बेशर्मी के साथ मुसलमानों के लिये आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। देश बँट जाये तो उनकी बला से, उन्हें बस वोट चाहिये। वोट के भूखे भेड़िये देश को भेड़ बकरी समझकर खा जाने में भी शर्म नहीं महसूस करते।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन करने वाले अनेक राजनीतिक विश्लेषकों ने आशंका प्रकट की है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से देश को पुन: बाँटने की साजिश रची जा रही है। विशेषज्ञों की इस आशंका में सरदार पटेल द्वारा संविधान सभा में दिये गये भाषण की प्रतिध्वनि सुनायी देती है। केन्द्र सरकार इस आरोप से कितना भी इनकार क्यों न करे किन्तु उसने जानबूझकर अथवा अनजाने में जो खतरनाक कदम बढ़ाया है वो देश को अलगाववाद के गहरे गड्ढ़े में ढकेलने वाला है। यदि समय रहते इसका प्रतिवाद नहीं किया गया तो राष्ट्र के सम्मुख अभूतपूर्व संकट उपस्थित हो जायेगा। इसलिये देश की एकता, अखण्डता एवं संप्रभुता को कायम रखने में जिनकी तनिक भी दिलचस्पी है और जो इस देश की सर्वधर्म समभाव की सनातन परम्परा को अक्षुण बनाये रखना चाहते हैं उन सभी देशभक्त नागरिकों को एक मंच पर आकर इस रिपोर्ट के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द करनी चाहिये।

❑❑❑